रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 385] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 22, 1979/भाद्रपद 31, 1901

No. 385] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 22, 1979/BHADRA 31, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मन्त्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1979

का० आ० 541(अ).—18कक/उ०वि०वि०अ०/79.—यत: मेसर्स नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, हावड़ा (जिसे एतद्पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) एक अनुसूचित उद्योग अर्थात् लोहा और इस्पात उद्योग में कार्यरत है।

और चूंकि केन्द्रीय सरकार के अपने कब्जे में की दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य से यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम तीन महीनों से अन्यून अवधि के लिये बन्द रहा है और इस प्रकार का बन्द किया जाना संबंधित अनुसूचित उद्योग के हितों के प्रतिकूल है व औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व वाली कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा ऐसे उपक्रम का संयंत्र और मशीनें ऐसी हैं कि इस उपक्रम को पुन: चालू करना संभव है तथा इस प्रकार उसका पुन: चलाया जाना आम जनता के हितों के लिये आवश्यक है ;

अत: अब केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेक्रेटरी क्लोज्ड एण्ड सिक इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता (जिसे एतद्पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्पूर्ण प्रबन्ध को निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन हाथ में लेने के लिये प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत व्यक्ति उन सभी निदेशों का पालन करेंगे जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर जारी करे।

(2) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक पद धारण करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति पहले भी समाप्त कर सकेगी।

2. यह आदेश राजपत्र की तारीख से प्रारम्भ होते हुए तीन वर्षों की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[फा० सं० 4(12)/76-सी०यू०सी०]

बी० राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 1979

S.O. 541(E)/18AA/IDRA/79.—Whereas M/s. National Iron and Steel Company Limited, Howrah (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) is engaged in a scheduled industry, namely Iron & Steel Industry.

And whereas from the documentary and other evidence in its possession, the Central Government is satisfied, in relation to the said industrial undertaking, that it has been closed for a period of not less than three months and such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry and that the financial condition of the company owning the industrial undertaking and the condition of the plant and machinery of such undertaking are such that it is possible to re-start the undertaking and such re-starting is necessary in the interests of the general public ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, Calcutta (hereinafter referred to as the authorised person), to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, subject to the following terms and conditions, namely :—

(I) The authorised person shall comply with all the directions issued from time to time by the Central Government.

(II) The authorised person shall hold office for a period of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

(III) The Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier if it considers it necessary, to do so.

2. This Order shall have effect for a period of three years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 4(12)/76-CUC]
B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979